कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0) सन्त कबीर नगर।

पत्रांक– /जि0का0अधि0/विज्ञप्ति/2021–22 दिनॉक– 10 अगस्त, 2021

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–11/2021/388/58–1–2020–2/1(22)10 टी0सी0 दिनॉक 29 जनवरी 2021 के क्रम में जनपद सन्त कबीर नगर में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ द्वारा तैयार किये गये वेबसाइट https://balvikasup.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। रिक्त पदों का विकास खण्ड/परियोजनावार विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	परियोजना का नाम	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति	सामान्य	योग
1	नाथनगर	आंगनबाड़ी कार्यकत्री	14	03	06	05	14
		मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री	18	04	05	09	18
		आंगनबाड़ी सहायिका	18	05	10	03	18
2	हैंसरबाजार	आंगनबाड़ी कार्यकत्री	34	04	07	23	34
		मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री	05	–	–	05	05
		आंगनबाड़ी सहायिका	46	11	16	19	46
3	मेंहदावल	आंगनबाड़ी कार्यकत्री	08	01	02	05	08
		मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री	25	06	07	12	25
		आंगनबाड़ी सहायिका	11	02	03	06	11
4	सांथा	आंगनबाड़ी कार्यकत्री	41	10	10	21	41
		मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री	30	12	10	08	30
		आंगनबाड़ी सहायिका	42	09	11	22	42
5	सेमरियावां	आंगनबाड़ी कार्यकत्री	23	03	05	15	23
		मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री	09	02	02	05	09
		आंगनबाड़ी सहायिका	17	01	07	09	17
6	पौली	आंगनबाड़ी कार्यकत्री	17	02	05	10	17
		मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री	07	01	02	04	07
		आंगनबाड़ी सहायिका	29	04	09	16	29
7	बेलहरकला	आंगनबाड़ी कार्यकत्री	05	02	01	02	05
		मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री	02	01	01	–	02
		आंगनबाड़ी सहायिका	21	06	05	10	21
8	शहर	आंगनबाड़ी कार्यकत्री	03	02	01	–	03
		मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री	–	–	–	–	–
		आंगनबाड़ी सहायिका	14	04	02	08	14
9	खलीलाबाद	आंगनबाड़ी कार्यकत्री	50	12	18	20	50
		मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री	21	03	06	12	21
		आंगनबाड़ी सहायिका	69	11	29	29	69
10	बघौली	आंगनबाड़ी कार्यकत्री	09	02	06	01	09
		मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री	02	–	–	02	02
		आंगनबाड़ी सहायिका	24	03	10	11	24
कुल योग –			**614**	**126**	**196**	**292**	**614**

उपरोक्त पदों का ग्रामवार/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण तथा अर्हता विभागीय वेबसाइट https://balvikasup.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है।

चयन हेतु पात्रता–

1–उक्त पदो हेतु केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होगें और केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार्य होंगे।

2–आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण तथा सहायिकाओं के लिए कक्षा 05 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

3–आयु के सम्बन्ध में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए हाईस्कूल प्रमाण–पत्र एवं सहायिकाओं के लिए कक्षा 05, जैसी भी स्थिति हो, का स्कूल से जारी प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

4–आवेदिका को रिक्त पद के ग्राम पंचायत/वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है।

5–सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड में स्थित केन्द्र की सहायिका, जिसकी न्यूनतम अर्हकारी सेवा 05 वर्ष की पूरी हो चुकी हो तथा हाईस्कूल उत्तीर्ण एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो।

6–आंगनबाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका की नियुक्ति/चयन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को प्रथम वरीयता देते हुए किया जायेगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। गरीबी रेखा हेतु आय का निर्धारण समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26–2–2015 दिनॉक 14.09.2015 के अनुसार होगा। समाज कल्याण विभाग के शासनादेश दिनॉक 14.09.2015 में आय सीमा हेतु कट ऑफ निर्धारित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0–46080/– तथा शहरी क्षेत्र हेतु रू0–56460/– प्रति परिवार वार्षिक आय निर्धारित किया गया है।

7–आंगनबाड़ी सहायिका के उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला।

8–विधवा महिला उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।

9–आंगनबाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका के लिए यह अनिवार्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वह उसी ग्राम सभा एवं शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड की निवासी हो।

10–निवास, जाति एवं आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

11–विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के सम्बन्ध में नियमानुसार समक्ष स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

12–गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिला के उपलब्ध न होने की दशा में गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली महिलाओं के चयन करने पर विचार किया जायेगा।

13–यदि ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नही होता है तो संबन्धित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जा सकता है।

14–आवेदिका की आयु 01 जनवरी 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होगी। आंगनबाड़ी सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

15–आवेदक अपने समस्त अभिलेख स्वप्रमाणित स्कैन कर बेबसाइड पर आवेदन के साथ अपलोड करें।

16–ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि **31 अगस्त 2021** होगी।

17–उपरोक्त पदो की अर्हता आवेदन की प्रकिया एवं विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट का अवलोकन करें तथा https://balvikasup.gov.in से उपरोक्त शासनादेश डाउनलोड कर ठीक प्रकार से पढ़ कर आवेदन करें।

(विजय श्री)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
सन्त कबीर नगर

पृष्ठांकन सं0– सी–667 /तद्दिनांक– 10/08/2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित के सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास उ0प्र0, शासन लखनऊ।
2. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, संत कबीर नगर।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, संत कबीर नगर।
5. मुख्य विकास अधिकारी, संत कबीर नगर।
6. जिला सूचना अधिकारी, सन्त कबीर नगर को इस आशय से प्रेषित है कि दो प्रचलित समाचार पत्रों में निशुल्क विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सन्त कबीर नगर को रिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची एवं सम्बन्धित विज्ञापन पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया NIC की वेबसाइट पर प्रचार प्रसार हेतु अपलोड करने का कष्ट करें।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद खलीलाबाद।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत मगहर।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत मेंहदावल।
11. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत बेलहरकलां।
12. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत बखिरा।
13. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, संत कबीर नगर।
14. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, संत कबीर नगर को इस निर्देश के साथ रिक्त केन्द्रों की विज्ञप्ति की एक प्रति परियोजना कार्यालय पर चस्पा करें।
15. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण/अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम दर पर विज्ञापित करा कर बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करें ।
16. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
संत कबीर नगर।